अध्याय III : संस्कृति मंत्रालय

एशियाई समिति, कोलकाता

3.1 कर्मचारियों को अनुचित लाभ

एशियाई समिति, कोलकाता ने, अपने कर्मचारियों को ₹ 3.09 करोड़ का अनुचित लाभ पहुँचाया जो छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के प्रावधानों तथा संशोधित आश्वासित कैरियर प्रगति योजना (सं.आ.कै.प्र.यो.) में असंगति के कारण था। इसके अतिरिक्त, इसने सेवानिवृति की आयु प्राप्त होने के पश्चात भी स्टाफ की सेवाओं को नियमित रूप से विस्तारित किया।

3.1.1 वेतन नियमन,संशोधित आश्वासित कैरियर प्रगति योजना का कार्यावन्यन तथा विशेष वेतनवृद्वियां प्रदान करना।

वित्त मंत्रालय ने केन्द्रीय कर्मचारियों हेतु संशोधित वेतन ढांचे को (छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर) स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को देते हुए स्पष्ट किया (सितम्बर 2008) कि संशोधित वेतन ढांचा स्वायत्त निकायों के उन कर्मचारियों, जिनकी सेवा-शर्तें केन्द्रीय सरकारी विभागों के कर्मचारियों के जैसी थीं, को दिया जाए। इसके अतिरिक्त, उन स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों, जिनका वेतन ढांचा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों जैसा नहीं था, के लिये यह सुनिश्चित किया जाना था कि लाभों का अंतिम पैकेज केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की तदनरूपी श्रेणियों से अधिक लाभकारी न हो। इस प्रकार, संशोधित वेतन ढांचा कार्यान्वित करते समय, स्वायत्त निकाय, अपने कर्मचारियों को, केन्द्रीय सरकार में उनके प्रतिस्थानियों को ग्राहय लाभों से अधिक लाभ देने में नियंत्रित किए गए थे। सामान्य वित्तीय नियम 209 (6) (iv) (क) के अनुसार भी, वे सभी अनुदानग्राही संस्थान या संगठन जो अपने आवर्ती व्यय का पचास *प्रतिशत* से अधिक भाग सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त करते हैं, अपने कर्मचारियों की सेवा-शर्तें सामान्य रूप से तैयार करेंगें, जो कुल मिलाकर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की श्रेणियों पर लागू से अधिक न हों । आपवादिक मामलों में वित्त मंत्रालय के परामर्श से छूट दी जा सकती है ।

केन्द्रीय सरकारी विभागों के कर्मचारियों हेतु संशोधित आश्वासित कैरियर प्रगति योजना (सं.आ.कै.प्र.यो.),कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. दिनांक 19 मई 2009 द्वारा कार्यान्यित की गई थी। योजना में, सेवा के 10, 20 तथा 30 वर्ष पूर्ण होने पर वित्तीय उन्नयन का प्रावधान था। सं.आ.कै.प्र.यो. के अंतर्गत उन्नयन के पश्चात एक कर्मचारी

के वेतन बैण्ड में, कुल वेतन का तीन *प्रतिशत* तक तथा ऐसे उन्नयन से पूर्व आहरित ग्रेड़ वेतन अगले उच्च ग्रेड में बढ़ाया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि समिति ने:

(i) छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करते समय वर्ग 'घ' कर्मचारयों को ₹ 5200-20200 के वेतन बैण्ड में ₹ 1800 की बजाय ₹ 1900 के ग्रेड वेतन में वेतन दिया।

(ii) सभी पात्र कर्मचारियों का ग्रेड वेतन, सं.आ.कै.प्र.यो.के अर्न्तगत ग्राहय स्तरों से उच्च स्तरों पर नियत किया ।

(iii) उसने अपने सभी कर्मचारियों को कार्य के बढ़ते भार हेतु एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि देने का अनुमोदन किया (सितम्बर 2010)।

अनियमित वेतन नियतन, सं.आ.कै.प्र.यो. का अनुपयुक्त कार्यान्वयन तथा अनियमित वेतनवृद्धि प्रदान करने के संचित प्रभाव के परिणामस्वरूप कर्मचारियों को ₹ 3.09 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ जिसमें से ₹ 1.38 करोड़ का पहले ही भुगतान किया जा चुका है (अक्तूबर 2012)। शेष राशि का पर्याप्त निधियों के अभाव में भुगतान नहीं किया जा सका था।

मुख्य लेखा नियंत्रक के आंतरिक लेखापरीक्षा दल, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भी इन मुद्दों को उठाया था (सितम्बर 2011) जिसके उत्तर में संस्कृति मंत्रालय अर्थात समिति के प्रशासनिक मंत्रालय ने;

(क) समिति को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों तथा सं.आ.कै.प्र.योजना के कार्यान्वयन के लिए उसका अनुमोदन प्राप्त करने के निर्देश दिए (अप्रैल 2012), तथा

(ख) अतिरिक्त वेतनवृद्धि के प्रति किए गए अधिक भुगतान को वसूल किया जाए।

तदनुसार, समिति ने, मंत्रालय से कार्योत्तर अनुमोदन हेतु प्रस्ताव किया (मई 2012)। मंत्रालय ने समिति को पुनः निर्देश दिए (अक्तूबर 2012) कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों तथा सं.आ.कै.प्र.यो. के कार्यान्वयन के संबंध में वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापनों का सख्ती से पालन किया जाए तथा अतिरिक्त वेतन वृद्धि के प्रति किए गए अधिक भुगतान को वसूल किया जाए। तथापि, समिति ने अभी भी यह राशि वसूल करनी थी (मई 2013)।

समिति ने उत्तर दिया (जनवरी 2013) कि ग्रेड वेतन से संबंधित त्रुटि को दिनांक 4 जनवरी 2011 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा सही कर लिया गया था, तथा तभी से नव

नियुक्तों को ₹ 1800 का ग्रेड दिया गया था। उसने आगे बताया कि सं.आ.कै.प्र.यो. प्रदान करने से संबंधित मामले मंत्रालय को स्पष्ट किए गए थे, तथा उच्च शिक्षा के प्रति अतिरिक्त वेतनवृद्धि के मामलों की मंत्रालय के परामर्श से पुनः जांच की जाएगी। उसने यह भी सूचित किया था कि यद्यपि उसकी परिषद ने 25 मई 2012 की हुई बैठक में अधिक भुगतान वसूल करने का निर्णय लिया गया था, तथापि वसूली आरंभ नहीं की जा सकी क्योंकि पुनः जांच करने का निर्णय बाद में लिया गया था। उसने इस बात पर भी बल दिया था कि किसी अन्य विभाग के लिए लागू नियम, जब तक एशियाई समिति अधिनियम में दी गई यथा प्रक्रिया को अपनाया नहीं जाता है तब तक स्वतः समिति पर लागू नहीं होंगे।

3.1.2 सेवा निवृति के पश्चात सेवा का विस्तार

समिति के उपनियमों में, समिति के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है किन्तु सेवाएं एक बार में एक वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है तथा ऐसे बढ़ाए गए समय की अवधि पांच वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

मंत्रालय ने, समिति के कर्मचारियों की सेवा बढ़ाने से संबंधित पिछले संदर्भ के प्रत्युत्तर (अक्तूबर 2002) में यह निर्देश दिया था, कि 62 वर्ष की आयु तक सेवावधि बढ़ाने पर विचार करते समय भा.स. के दिशानिर्देशों का पालन किया जाए और ऐसे विस्तारण नियमित रूप से नहीं दिए जाने चाहिए। समिति को भी मंत्रालय के पूर्वानुमोदन के बिना 62 वर्ष की आयु के पश्चात सेवावधि न बढ़ाने के निर्देश दिए थे। मंत्रालय ने, समिति को सेवावधि बढ़ाए जाने से संबंधित उपनियमों में संशोधन करने तथा संशोधित उपनियम शीघ्रातिशीघ्र भेजने का परामर्श भी दिया था। इसको सूचित करते समय मंत्रालय ने यह प्रशंसा भी की थी कि यह एक स्वायत्त संगठन था तथा इसकी स्वायत्ता का आदर करने की आवश्यकता है लेकिन उसने इस बात पर भी बल दिया कि चूँकि यह भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्तपोषित है, इसलिए इसे भारत सरकार के मूल मानदण्ड तथा दिशानिर्देश अपनाने अपेक्षित थे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि समिति द्वारा उन सभी 30 कर्मचारियों जिन्होंने 2007-2012 के दौरान सेवानिवृति आयु (60 वर्ष) पार कर ली थी, की सेवा अवधि में विस्तार किया गया था। पहले भी, समिति ने 33 कर्मचारियों जो 1998-2007 के दौरान सेवा-निवृत्त होने थे, की सेवा अवधि में विस्तार किया गया था। यह भी पाया गया था कि समिति ने, सभी सेवा-निवृत्त व्यक्तियों की सेवा अवधि बिना कोई कारण दिए नियमित रूप से बढ़ा दी थी। मंत्रालय द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार समिति ने सेवा अवधि में विस्तार करने से संबंधित उप नियमों में संशोधन नहीं किया था।

समिति ने बताया (जनवरी 2013) कि वह समय-समय पर अपनी संशोधित सेवा शर्तों द्वारा मार्गदर्शित होता था, तथा वर्तमान सेवा शर्तें सरकार द्वारा अनुमोदित थी। जब तक सेवा शर्तें संशोधित न की जाएं अथवा परिषद द्वारा नई शर्तें न अपनायी जाएं तथा सरकार द्वारा उसका अनुमोदन न किया जाए, तब तक इसके द्वारा कोई नई शर्त नहीं लगाई जा सकेगी।

इस प्रकार, समिति ने भारत सरकार की नियमावली के साथ साथ मंत्रालय के विशिष्ट दिशानिर्देशों के उल्लघंन में सेवानिवृति के बाद अपने कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन या उनकी सेवाओं में विस्तार कर अनियमित रूप से अतिरिक्त लाभ प्रदान किए थे।

मामला मंत्रालय को दिसम्बर 2012 में सूचित किया गया था; उनका उत्तर मई 2013 तक प्रतीक्षित था।